


4.23

~~पनामी से शाक की लगेगी 2000 रु. तक जागें
से चलना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है नया कंडा
कोई कार्रवाई होम करी है डिवा. पनामा
के एन शुभा की जास (काद नकली ल
दालिम दाल (है)~~





अन्तिम डिकी मुकदमा इब्दाई
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाफ़ा दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास - राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि० नं० 38/2022 दावा/बउनवान/सायराबानो वगैरा/अखलाक अहमद वगैरा

1. सायराबानो आयु 72 साल पुत्री श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान,
 2. शमीमबानो आयु 66 साल पुत्री श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान,
 3. हनीफाबानो आयु 60 साल पुत्री श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान,
 4. बदरुन्निसा आयु 50 साल पुत्री श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
- वादीगण-

-बनाम-

1. अखलाक अहमद खान पुत्र श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान,
 2. आलम अहमद पुत्र श्री गुलमोहम्मद जाति मुसलमान,
 3. अंसार पुत्र श्री मुस्तफा जाति मुसलमान,
 4. जुबेदा बेगम पुत्री श्री मुस्तफा जाति मुसलमान,
 5. आबीदा बेगम पुत्री श्री मुस्तफा जाति मुसलमान,
 6. अमानत पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान,
 7. उस्मानखान पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान,
 8. मुस्ताक खां पुत्र श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान,
 9. सईदनबानो पुत्री श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान,
 10. जिन्नत पुत्री श्री सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासियान सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
 11. प्रेमबाई पत्नी श्री किशनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
 12. राज्य सरकार जर्जे लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद।
- प्रतिवादीगण-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर० टी० एक्ट,

मि.नं. 38/2022

तारीख फ़ैसला दिनांक 12.11.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरूबहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी

माल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 687 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 688 रकबा 0.32 हैक्टर कुल 2 कित्ता की 0.54 हैक्टर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 को प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 833 रकबा 0.61 हैक्टर में से 0.5550 हैक्टर दक्षिणी आराजी के 1/3 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1, 2 को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी कं. 3, 4, 5 को व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी कं. 6 लगायत 10 को एवं खसरा नंबर 833 रकबा 0.61 हैक्टर में से 0.0550 हैक्टर उत्तरी, खसरा नंबर 831 रकबा 0.50 हैक्टर कुल कित्ता 2 की कुल 0.5550 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 11 प्रेमबाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते व लगान दर्ज किये जावें।

निज _____ मुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 12.11.2022 को जारी की गई।

उप (राजेश डामो) स्टेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा
सांगोद

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड (राजेश डामो) स्टेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा
सांगोद

सत्य प्रताप
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)



92/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 845

दिनांक- 20/03/23


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0..... 38/2022
उनवान..... सादराबागे / अरजलाह में जारी डिक्री दिनांक.
12.11.22 की पालना में ग्राम..... ललीपुरा में नामान्तरकरण सं..... 825
दिनांक 25/1/23 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी
है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।


तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- लक्ष्मीपुरा
पटवार हल्का :- कुराड़ियाखुर्द
भू.अभि.नि. :- सांगोद
तहसील :- सांगोद
जिला :- कोटा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 30
खाता संख्या पुराना :- 34

काश्तकार का नाम:-

1. अखलाक अहमद पुत्र गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
2. अमानतखान पुत्र सुल्तानखां हिस्सा- 1/15 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
3. अंसार अहमद पुत्र मुस्तफा हिस्सा- 1/9 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
4. आबीदा बेगम पुत्री मुस्तफा हिस्सा- 1/9 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
5. आलम अहमद पुत्र गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
6. उस्मानखान पुत्र सुल्तानखां हिस्सा- 1/15 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
7. जुवेदा बेगम पुत्री मुस्तफा हिस्सा- 1/9 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
8. जिन्नतबानू पुत्री सुल्तानखां हिस्सा- 1/15 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
9. बदरुन्निसा पुत्री गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
10. मुस्ताकखान पुत्र सुल्तानखां हिस्सा- 1/15 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
11. शमीमबानो पुत्री गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
12. सईदनबानो पुत्री सुल्तानखां हिस्सा- 1/15 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
13. सायराबानो पुत्री गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
14. हनीफाबानो पुत्री गुलमोहम्मद हिस्सा- 1/18 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1098/833	0.5550	चाही प्रथम	0.5550	18.32	स्वीकृत नामांतरकरण : 875 25/01/2023	न्याया. आदेश
कुल खसरे - 1	0.5550		0.5550	18.3200		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा।

क्रमांक - 2022/639

दिनांक - 13/12/22


तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषय - इजराय संख्या उनवान साथरावानी बनाम
शिवलाल मुताबिक निर्णय/डिकी पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० 33/2022 उनवान साथरावानी
बनाम शिवलाल के न्यायालय में दिनांक 12/11/2022 को
निर्णय-डिकी पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय/डिकी की छाया प्रति
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 10/2/23 से पूर्व पालना करना
सुनिश्चित करें।

संलग्न -

निर्णय-डिकी की छाया प्रति


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद उपखण्ड अधिकारी

सांगोद